2/7/18

श्रीमान जी
राजस्व अभिलेख में आ गई नकल नहीं आई है।
18/7/18

निर्धारित तिथि का रेखांकन होने के कारण पत्रावली पेश नहीं। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। न्यायालय अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/ अवकाश पर है। पत्रावली मात्र आदेशानुसार दिनांक 18/6/18 को पेश हो।

पत्रावली अन्तर्गत लोक न्यायालय आम निपटारे वर्ष 2018 केस बकाये में पेश हुई। पत्रावली का रेखांकन किया। पत्रावली पर अभिलेख अंकित किया कि वादी पक्ष भूमि/ [illegible] चाहते हैं। अतः पत्रावली भूमि पर भेजी गई/ [illegible] के सम्बन्धित मूल वाद लम्बित है। प्रकरण में अभी कोई कार्यवाही [illegible] नहीं है। अतः भूमि/ भू-माफिया [illegible] पर भूमि पर [illegible] बीच अभिलेख के [illegible] पर अंकित किया जाता है। पत्रावली [illegible] पर तकमील [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official